

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं० 1038
दिनांक 27.06.2019 को उत्तर दिए जाने के लिए
जल-परीक्षण प्रयोगशालाएं

1038. श्री अशोक महादेवराव नेते:
श्री हरीश द्विवेदी:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) देश में, आज की तिथि के अनुसार, राज्य-वार कुल कितनी पेयजल परीक्षण प्रयोगशालाएं विद्यमान हैं;
- (ख) क्या सरकार देश के प्रत्येक जिले में एक जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने से संबंधित किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार को विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक जिले में जल परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए कुछ राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
- (च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
(श्री रतन लाल कटारिया)

(क) से (च) ग्रामीण पेयजल आपूर्ति राज्य का विषय है। यह मंत्रालय, ग्रामीण आबादी तक सुरक्षित पेयजल पहुँचाने के कवरेज में सुधार लाने के लिए, केंद्र प्रायोजित स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के जरिए राज्यों को तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को पूरा करता है। ग्रामीण आबादी को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारें ही जल गुणवत्ता जांच प्रयोगशाला (डब्ल्यू एंड टीएल) की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन, निष्पादन, प्रचालन और रख-रखाव करती हैं।

केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी) के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत, एनआरडीडब्ल्यूपी कवरेज निधियों के 5% तक का उपयोग जल गुणवत्ता मॉनीटरिंग तथा निगरानी (डब्ल्यूक्यूएमएंडएस) गतिविधियों के लिए राज्यों द्वारा किया जा सकता है जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न स्तरों पर मौजूदा जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं की स्थापना तथा उनका स्तरोन्नयन करना तथा दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रयोगशालाओं को रासायनिक तथा उपभोज्य सामग्री उपलब्ध कराना शामिल है।

दिनांक 20.06.2019 की स्थिति के अनुसार मंत्रालय की एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार पेयजल जांच प्रयोगशालाओं का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक** पर दिया गया है।

दिनांक 27/06/2019 को उत्तर दिए जाने के लिए लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 1038 के उत्तर में उल्लिखित
अनुलग्नक

दिनांक 20.06.2019 की स्थिति के अनुसार एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली (आईएमआईएस) पर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पेयजल जांच प्रयोगशालाओं की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	राज्य की प्रयोगशाला (मोबाइल लैब रहित)	जिले की प्रयोगशाला (मोबाइल लैब रहित)	ब्लॉक की प्रयोगशाला (मोबाइल लैब रहित)	उप-मंडल की प्रयोगशाला (मोबाइल लैब रहित)	मोबाइल प्रयोगशाला (राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ उप-मंडल स्तर)	कुल प्रयोगशाला (राज्य/ जिला/ ब्लॉक/ उप-मंडल स्तर)
1	अंडमान और निकोबार	1	0	0	0	2	3
2	आंध्र प्रदेश	1	32	0	74	0	107
3	अरुणाचल प्रदेश	1	16	0	31	1	49
4	असम	1	29	0	54	23	107
5	बिहार	1	41	0	1	0	43
6	छत्तीसगढ़	1	27	1	24	18	71
7	गोवा	1	0	1	9	0	11
8	गुजरात	1	32	48	0	6	87
9	हरियाणा	1	21	0	22	0	44
10	हिमाचल प्रदेश	1	14	0	30	0	45
11	जम्मू एवं कश्मीर	0	22	4	76	0	102
12	झारखंड	1	26	1	7	5	40
13	कर्नाटक	1	30	0	100	0	131
14	केरल	1	14	0	37	0	52
15	मध्य प्रदेश	1	51	3	106	0	161
16	महाराष्ट्र	1	65	2	141	0	209
17	मणिपुर	1	9	0	2	0	12
18	मेघालय	1	7	0	25	0	33
19	मिजोरम	1	8	0	18	0	27
20	नागालैंड	0	11	0	1	2	14
21	ओडिशा	1	32	0	44	0	77
22	पुडुचेरी	0	2	0	0	0	2
23	पंजाब	2	22	8	0	1	33
24	राजस्थान	1	32	165	0	0	198
25	सिक्किम	0	2	0	0	0	2
26	तमिलनाडु	1	34	0	55	0	90
27	तेलंगाना	1	19	0	56	0	76
28	त्रिपुरा	1	8	7	6	0	22
29	उत्तर प्रदेश	1	76	3	3	0	83
30	उत्तराखंड	1	29	1	14	0	45
31	पश्चिमी बंगाल	1	20	0	198	0	219
	कुल	28	731	244	1134	58	2195

स्रोत: आईएमआईएस, डीडीडब्ल्यूएस